न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3288–तीन / 2013, विरूद्ध आदेश दिनांक 29–07–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार मंदसौर, प्रकरण कमांक 01 / अ–13 / 2012–13,

.....

1– भेरूलाल पिता गोधाजी कुमावत,
2– गोपाल पिता भेंरूलाल कुमावत,
3– पन्नालाल पिता भेंरूलाल कुमावत,
4– प्रकाश पिता भेंरूलाल कुमावत,
5– मोहनलाल पिता भेंरूलाल कुमावत,
6– कोमल पिता शोभारात कुमावत,
निवासीगण ग्राम अमलावद तहसील व
जिला–मंदसौर, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

कन्हैयालाल पिता मगनीरामजी कुमावत
निवासी–ग्राम अमलावद तहसील व
जिला–मंदसौर, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री टी0टी0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी,अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार मंदसौर, जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कन्हैयालाल ने संहिता की धारा 131, 132 के अंतर्गत आवेदकगण भेरूलाल आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2012 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अनावेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम अमलावद स्थित भूमि सर्वे नं0 1740 स्थित होकर अनावेदक की भूमि के पास आवेदकगण की कृषि भूमि स्थित है तथा अनावेदक की भूमि सर्वे नं0 1740 का सीमांकन कराया गया जिसमें 7 बिस्वा भूमि भेरूलाल के आधिपत्य में पाई गई है, जिसका कब्जा लेने हेतु कार्यवाही सिविल न्यायालय में पेश की गई है । आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि सर्वे नं0 1740 के पूर्व व दक्षिण दिशा में मिट्टी की पाल व उस पर पत्थर डालकर पानी निकासी रोक दिया गया । अनावेदक द्वारा पानी के रास्ते में की गई बाधा को हटवाये जाने हेतु कलेक्टर मंदसौर के यहॉ आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रकरण तहसीलदार मन्दसौर को भेजकर विधिवत संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया । आवेदकगण ने अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर सम्पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट की गई तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी साक्ष्य हेतु प्रकरण विचाराधीन था किन्तु अनावेदक ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा दिनांक 06.06.2013 को साक्ष्य के स्थान पर संहिता की धारा 32 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाधा को तुरंत हटाये जाने एवं आवेदकगण के जमानत मुचलकें लिये जाने की मांग की गई जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने अत्याधिक न्यायिक सक्रियता दर्शाते हुए पंचनामा दिनांक 26.06.2013 का निर्मित कर पुनरीक्षणाधीन आदेश दिनांक 29.07.2013 पारित किया गया । तहसीलदार

मन्दसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा यह पुनरीक्षण तहसीलदार मन्दसौर द्वारा रा0प्र0क्र0 1/अ–13/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2013 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । उल्लेखित प्रकरण में तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष अनावेदक कन्हैयालाल द्वारा संहिता की धारा 131, व धारा 32 का एक आवेदन प्रस्तुत करके आवेदकगण द्वारा सर्वे क्र0 1740 के पूर्व–दक्षिण दिशा में मिट्टी की मेड़ व उस पर पत्थर रखकर पानी रोक देने से, पानी की बाधा हटाने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया । अनावेदक द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक के खेत की पानी की निकासी चालू है, इस कारण आवेदन निरस्त किया जावे । तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया और उसमें यह पाया गया कि पानी की निकासी होती रही है । यह प्रतीत होता है। इसके बावजूद आलोच्य आदेश के माध्यम से आवेदकगण के विरूद्ध यह आदेश पारित किया कि पानी निकासी में किये गये अवरोध को हटाया जावे और पुलिस को भी सूचना दी गई । तहसीलदार का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाने योग्य नहीं और उसमें प्रक्रियात्मक त्रुटि होकर उसे कायम रखा जाने पर आवेदगण को गंभीर अपूर्णीय क्षति होगी और वे न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगें । उल्लेखित प्रश्न के सन्दर्भ में आवेदकगण न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन में जो आधार उल्लेखित किये है उन पर पुनः अपना विश्वास व्यक्त करते हुए पुनरीक्षण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में सहायता अन्तरिम रूप से प्रदान की गई है, उस सहायता का यदि अवलोकन करें तो अनावेदक द्वारा तहसीलदार को जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन की सहायता उन्हें अंतिम रूप से प्राप्त होना दर्शित है, जबकि संहिता की धारा 32 के तहत इस प्रकार की अंतिम सहायता प्रदान किये जाने का कोई विधिक औचित्य नहीं है ओर ऐसा आदेश गंभीर रूप से प्रक्रियात्मक त्रुटि से ग्रसित है और स्थिर रखे जाये योग्य नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में आलोच्य आदेश पारित करने के पहले उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक 26.06.2013 को स्थल निरीक्षण करना दर्शित किया है । उक्त

स्थल निरीक्षण में यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा तीन साल से पानी का अवरोधित करना बताया गया है तब ऐसा व्यक्ति जो तीन साल से पानी की निकासी से परेशान हो और वह तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर उपचार प्राप्त न करें, यह प्रथम दृष्टिया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता और इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा असत्य व झूठा आवेदन प्रस्तुत किया गया है । मौके पर तहसीलदार पहुँचना दर्शित करते है उस पंचनामे का ही अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा जो आवजर्वेशन किये गये है उनके अनुसार तीन जगह वर्तमान स्थिति के आधार पर पानी की निकासी होती रही होना उनके स्वयं के द्वारा पाया गया है तब उक्त पंचनामे को ध्यान में लिये गये उसके विपरीत मनमाना निष्कर्ष निकालने में तहसीलदार द्वारा भूल की गई है । अनावेदक के आवेदन अनुसार मौके पर पत्थर डालकर पानी का निकास रोकने का कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 131 के तहत प्रकरणों में स्थल निरीक्षण जो अन्तरिम आदेश पारित करने के लिए एकमात्र तहसीलदार को विवेक का प्रयोग करने के लिए सक्षमता प्रदान करता है वहीं तहसीलदार को कथित स्वरूप का आलोच्य आदेश पारित करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं कराता है और ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पाया जाने के बाद भी कि मौके पर पानी निकासी होती रही है फिर आवेदन निरस्त करने के बजाय अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित करके विवाद की स्थितियां निर्मित होने वाला ही आलोच्य आदेश पारित किया है और ऐसा आदेश किसी भी रूप में स्थिर रखा जाने योग्य नहीं है । अनावेदक कन्हैयालाल यह आवेदक से रंजिश रखते है और उनके द्वारा भूमि का सीमांकन की कार्यवाही करके दिनांक 01.06.2012 को सीमांकन करवाया गया और उस सीमांकन जिसकी आवेदक द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी क्रमांक 1358–एक/2013 में चुनौती दी गई थी और कथित सीमांकन दिनांक 01.06.2012 का न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त कर दिया गया है और ऐसे अनावेदक कन्हैयालाल की ओर से रंजिशवश प्रस्तुत किया गया गया । आवेदन कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था और इस कारण भी यदि आलोच्य आदेश कायम रखा जाता है तो अनोवदक कन्हैयालाल उसके आधार पर आवेदकगण को अनावश्यक वाद बाहुल्यता मानहानि प्रकरण में उलझाकर परेशान करेगा और ऐसी प्रक्रियात्मक त्रुटि

से ग्रसित आदेश को कायम रखा जाने पर आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी और न्याय विफल होगा । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, मन्दसौर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदक के, अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में तहसीलदार, मन्दसौर के आदेश को विधिअनुकूल बताते हुये उसे स्थिर रखे जाने का निवेदन कर अभिलेख के आधार पर विधिवत आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदक के खेत में आवेदक पक्ष द्वारा पानी की निकासी बन्द किए जाने से यह विवाद हुआ है । आवेदक पक्ष का यह कथन कि यह बिन्दु सीमांकन की कार्यवाही जिस पर वाद सिविल न्यायालय में प्रचलित है, से जुड़ा है उसके द्वारा प्रथम दृष्टया भी प्रमाणित नहीं किया गया है । प्रश्नाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है जो तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत पारित किया गया है, जिसे न मानने के इस स्टेज पर कोई कारण नहीं है । उभयपक्ष को साक्ष्य पेश करने का अवसर अभी उपलब्ध है जिसके आधार पर अन्तिम आदेश पारित होना है । अतः इस निगरानी में कोई बल न होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर